दिनांक 07.08.2022
प्रेस विज्ञप्ति 07/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रयागराज/थाना थरवई

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 07.08.2022 को थाना थरवई पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त आलोक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना उतरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2022 धारा 392/506/411भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना थरवई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आलोक निवासी चकहौदा थाना सरायममरेज जनपद प्रयागराज।

जनपद बाराबंकी/थाना सतरिख

- **05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **09 हजार 200 रूपये नगद**
- **04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 07.08.2022 को थाना सतरिख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छेदानगर के पास से 05 शातिर अभियुक्तों 1–सिराज 2–सर्वजीत उर्फ गब्बर 3–दिलदार 4– पवन कुमार 5– सेवाराम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 09 हजार 200 रूपये नगद, 04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सिराज के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, लखनऊ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त सर्वजीत उर्फ गब्बर के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त दिलदार के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त पवन कुमार के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में लूट, चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सतरिख पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सिराज निवासी उत्तर टोला कस्बा सूरतगंज थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी।

2—सर्वजीत उर्फ गब्बर निवासी बरौलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

3—दिलदार निवासी उत्तर टोला कस्बा सूरतगंज थाना मो0पुर खाला जनपद बाराबंकी।

4—पवन कुमार निवासी बरौलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

5—सेवाराम निवासी बरौलिया थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1—लगभग 03 लाख रूपये कीमत के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—09 हजार 200 रूपये नगद।

3—04 अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस आदि।

जनपद वाराणसी ग्रामीण/थाना रोहनियाँ

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 75 हजार 150 रूपये नगद**
- **चोरी की 02 टीवी, डीवीडी प्लेयर**
- **भारी मात्रा में चोरी के घरेलू सामान आदि**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 06.08.2022 को थाना रोहनियाँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पहाड़ी तिराहा ग्राम मड़ाव के पास से 02 अभियुक्तों 1–मुस्तकिम 2–बसीरूल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 75 हजार 150 रूपये नगद, चोरी की 02 टीवी, डीवीडी प्लेयर, भारी मात्रा में चोरी के घरेलू सामान आदि, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.07.2022 को थाना रोहनियाँ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, टीवी आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रोहनियाँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुस्तकिम निवासी पहाड़ी गांव थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी, स्थाई पता उत्तर कशिया थाना मोजरोई जनपद बीरभूम पश्चिम बंगाल।

2–बसीरूल निवासी पहाड़ी गांव थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी, स्थाई पता उत्तर कशिया थाना मोजरोई जनपद बीरभूम पश्चिम बंगाल।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के माल बिक्री के 75 हजार 150 रूपये नगद।

2—चोरी की 02 टीवी, डीवीडी प्लेयर।

3—भारी मात्रा में चोरी के घरेलू सामान आदि।

4—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

<u>जनपद रायबरेली/थाना कोतवाली नगर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 09 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के 11 मोबाइल फोन, 03 पर्स, पैनकार्ड, एटीएम कार्ड, डीएल, आरसी आदि**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस**
- **02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 07.08.2022 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खप्पर मलंग कब्रिस्तान के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शुभम घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—अंकुर सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही से अभियुक्त 3—रोहित को गिरफ्तार कर चोरी के 09 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के 11 मोबाइल फोन, 03 पर्स, पैनकार्ड, एटीएम कार्ड, डीएल, आरसी आदि, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस,

02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शुभम के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग एवं अभियुक्त अंकुर के विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोबाइल फोन, रूपया, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शुभम निवासी इंदिरानगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

2—अंकुर निवासी इंदिरानगर थाना कोतवाली नगर जनपद रायबरेली।

3—रोहित निवासी पूरे शिवपाल सिंह का पुरवा थाना सरेनी जनपद रायबरेली।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 09 हजार 500 रूपये नगद।

2—चोरी के 11 मोबाइल फोन, 03 पर्स, पैनकार्ड, एटीएम कार्ड, डीएल, आरसी आदि।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

5—02 मोबाइल फोन।

6—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–1

- **पुलिस कार्यवाही में 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 मोबाइल फोन, 02 आईफोन के पुर्जे**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06.08.2022 को थाना फेस–1 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–14 नाले के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त चिन्की गारफिल्ड विनफिल्ड घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 मोबाइल फोन, 02 आईफोन के पुर्जे, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद मोटर साइकिल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–1 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चिन्की गारफिल्ड विनफिल्ड निवासी 21 ब्लाक की झुग्गी थाना कल्याणपुरी दिल्ली।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2–02 मोबाइल फोन, 02 आईफोन के पुर्जे।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद मीरजापुर/थाना जिगना</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 06.08.2022 को थाना जिगना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 05 अभियुक्तों 1–करन 2–प्रिंशू 3–राजू 4–रितेश 5–गोरे को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.08.2022 को थाना जिगना क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जिगना पर मु0अ0सं0 107/2022 धारा 380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोबाइल फोन चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जिगना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–करन निवासी रसौली थाना जिगना जनपद मीरजापुर।

2–प्रिंशू निवासी रामपुर मेजा रोड थाना मेडा जनपद प्रयागराज।

3–राजू निवासी हिम्मतगंज थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

4–रितेश निवासी शुक्रवारी बाजार भारतगंज थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

5–गोरे निवासी चकिया थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 02 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध रिवाल्वर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद रायबरेली/थाना ऊँचाहार

- **01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 07.08.2022 को थाना ऊँचाहार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मनीरामपुर नहर पुल के पास से अभियुक्त नारेन्द्र बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद रायबरेली के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना ऊँचाहार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नारेन्द्र बहादुर निवासी जमुनिहा थाना डीह जनपद रायबरेली।

<u>बरामदगी</u>

1–08 अवैध तमंचा 315 बोर, 08 जीवित कारतूस।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर कछुओं की तस्करी करने वाला 01 तस्कर गिरफ्तार, 295 कछुए बरामद।</u>

दिनांकः 06–08–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 295 कछुए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-</u>

1– मो0 वसीम पुत्र सलीम, निवासी मोहल्ला गोताखोर, जनपद–उन्नाव।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 295 जीवित कछुए सरंक्षित प्रजाति के

2– 01 अदद आधार कार्ड

3– 01 अदद मोबाइल फोन

4– रुपये 210 नकद

<u>गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः-</u>

लखनऊ–कानपुर मार्ग निकट हनुमान मंदिर तिराहा बंथरा लखनऊ दिनांक 06–08–2022 समय–शाम 09:40 बजे

वन्य जीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो (WCCB), भारत सरकार की पहल पर एस0टी0एफ0 ने पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में कछुओं की तस्करी पर प्रभावी कार्यवाही की है। भारत में कछुओं की पाई जाने वाली 29 प्रजातियों में 15 प्रजातियाँ

उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इनमें 11 प्रजातियों का अवैध व्यापार किया जाता है। यह अवैध व्यापार जीवित कछुए के माँस अथवा पालने (as pet) अथवा कछुएं की कैलिपी (झिल्ली) को सुखा कर शक्तिवर्धक दवा के लिए किया जाता है। कछुओं को Soft Shell (मुलायम कवच) तथा hard Shell (कठोर कवच) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यमुना, चम्बल, गंगा, गोमती, घाघरा, गण्डक आदि नदियों, उनकी सहायक नदियों, तालाबों, Wet Lands आदि में यह दोनों प्रकार के कछुए बहुतायत में पाए जाते हैं।

एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों द्वारा वाइल्ड लाईफ संरक्षण हेतु अभिसूचना संकलन का कार्य किया जाता है। इसी क्रम श्री दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन का कार्य किया जा रहा था। तत्पश्चात ज्ञात हुआ कि उन्नाव, बहराईच, गोण्डा, लखीमपुर आदि जनपदों में बड़े स्तर पर संरक्षित प्रजाति के कछुओं का बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार किया जा रहा है। यह भी जानकारी हुई कि ऐसे व्यापारी इन कछुओं को बेचने के लिए पश्चिम बंगाल के व्यापारियों के संपर्क में रहते हैं जहाँ से यह इसे बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते चीन, हांगकांग, मलेशिया आदि देशो में भेजा जाता है।

उपनिरीक्षक श्री शिवेन्द्र सिंह सेंगर के नेतृत्व में मु0आ0 हरीश सिंह चौहान, मु0आ0 कृष्णकान्त शुक्ल, आरक्षी सुनील, आरक्षी चालक रईस मुख्यालय, एस0टी0एफ0 को जमीनी सूचना एवं अन्य स्रोतों से अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद गोण्डा बहराईच के कुछ तस्तरों द्वारा कछुओं की तस्करी की जा रही हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा क्षेत्रीय वन विभाग सरोजनीनगर की टीम को साथ लेकर सूचना विकसित करते हुए दिनांक 06—08—2022 को समय लगभग 09.40 बजे अभियुक्त उपरोक्त को लखनऊ—कानपुर मार्ग निकट हनुमान मंदिर तिराहा बंथरा लखनऊ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास मौजूद बैग से 295 जीवित कछुए बरामद हुए।

पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उत्तर प्रदेश के गोण्डा, बहराईच, लखीमपुर आदि जनपदों से इस कछुओ को लाकर जनपद उन्नाव में इकठ्ठा करते है। जिसके बाद इन्हे ट्रेन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में सप्लाई करते है, जहाँ से इन्हे अन्य देशों में भेजा जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध के क्षेत्रीय रेंज, सरोजनीनगर अवध वन प्रभाग लखनऊ में वन अपराध सं0: 11/2022—23 धारा 9,39,48ए,49,51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं भारतीय वन्य अधि0 1927 की धारा—52 पंजीकृत कराया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही क्षेत्रीय रेंज, सरोजनी नगर द्वारा किया जायेगा।

————————